

22वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना NOTICE OF 22ND ANNUAL GENERAL MEETING

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो -
वीडियो साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से
Through Video Conferencing (VC) or
Other Audio-Visual Means(OAVM)

गुरुवार, 19 जून, 2025

प्रातः 11.00 बजे

**Thursday, 19th June, 2025
at 11.00 A.M**

प्रधान कार्यालय : 10 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700001
Head Office : 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001
वेबसाइट / Website : www.ucobank.com

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यूको बैंक के शेयरधारकों की 22वीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, दिनांक 19 जून, 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कंफ्रेंस (वीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यम (ओएवीएम) माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:-

साधारण कारोवार

कार्यसूची मद संख्या 1

31 मार्च 2025 को बैंक की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा, लेखा द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के कामकाज एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और बैलेंस शीट एवं खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकार करना।

कार्यसूची मद संख्या 2

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना।

विशेष कारोवार

कार्यसूची मद संख्या 3

ईक्विटी पूंजी जुटाने की योजना 2025-26

निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो एक **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

‘संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और यूको बैंक (शेयर एवं बँठक) विनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा किसी संशोधन या पुनरधिनियमन सहित लागू अन्य सभी अधिनियम/कानून तथा भारत सरकार (जी ओ आई), भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) या अन्य किसी संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-समय पर यथालागू अन्य नियम/अधिसूचनाएं/परिपत्र/विनियम/दिशानिर्देश, यदि कोई हो तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (‘आरबीआई’), भारत सरकार (‘जीओआई’), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (‘सेबी’) और/ या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमों अर्थात् सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 (आई सी डी आर विनियम), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम), विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर ऋण लिखत) नियम, 2019 यथा संशोधित, तथा लिस्टिंग समझौते के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ प्रवेश किया, जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, एतद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद ‘निदेशक मंडल’ कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारी सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गई या आगे की जानेवाली कोई समिति भी शामिल) को दी जाती है कि वह प्रत्येक 10 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 270,00,00,000 इक्विटी शेयर, कुल मिलाकर अंकित मूल्य 2700,00,00,000 रुपये (निर्गम के ऐसे हिस्से को पक्का और/या प्रतिस्पर्धा आधार पर और यथा अनुमत व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए विधिसम्मत प्रकार से आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज/नियमावली, भले ही बाज़ार मूल्य या निर्गम मूल्य या फ्लोर मूल्य पर छूट या प्रीमियम पर हो अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए जिसमें एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय (‘एनआरआई’) कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्हक संस्थागत खरीदारों (‘क्यू आई बी’) जैसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों (‘एफआईआई’) या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ईक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से इनमें से किसी का मिश्रण हो।

"आगे संकल्प किया जाता है कि ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्यू, निजी प्लेसमेंट/अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआइपी) या भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य तरीका के जरिए, अधिक-आबंटन या ग्रीन शू आप्रान के साथ या उसके बिना और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियमावली 2018 (आई सी डी आर विनियमावली) एवं भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी या अन्य किसी यथा-लागू प्राधिकरण द्वारा ऐसे समय पर और तरीके और ऐसी शर्तों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि जहां आवश्यक हो, लीड प्रबंधक और/या हामीदार और अन्य सलहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आईसीडीआर विनियमावली, अन्य नियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू नियम विनियमावली और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक जो बैंक के विद्यमान सदस्य हो या न हो, के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड या इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की समिति का होगा जो आईसीडीआर विनियमावली की संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आई सी डी आर विनियम के अध्याय VI के अनुसरण में

क) पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VI के अर्थ के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी और इस संकल्प की तिथि से 365 दिनों के भीतर या अन्य समय जिसकी अनुमति समय-समय पर आई सी डी आर विनियम में दी जा सकती है।"

ख) आईसीडीआर विनियमों के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुसरण में बैंक आईसीडीआर विनियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर पांच प्रतिशत से अधिक की छूट देने के लिए अधिकृत है।

ग) आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार प्रतिभूतियों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि होगी।

"आगे संकल्प किया जाता है कि अपना अनुमोदन,सहमति,अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि अनिवासी भारतीयों / विदेशी निवेशक व्यक्तियों और या अन्य पात्र विदेशी निवेशक को नए ईक्विटी शेयर / अधिमन्य शेयर/प्रतिभूतियों को जारी और आवंटित करना,यदि कोई हो,विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जो अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि जारी किये जानेवाले उक्त नए ईक्विटी शेयर यथा संशोधित यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2003 के अधीन जारी किये जाएंगे और ये बैंक के मौजूदा शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले किसी भी लाभांश के लिए पात्र होंगे।"

"आगे संकल्प किया जाता है किसी मर्चेट बैंकर (रॉ), बुक रनर (रॉ), लीड प्रबंधकों, बैंकरों, हामीदारों, निक्षेपागारों, रजिस्ट्रारों, लेखापरीक्षकों एवं इस प्रकार की सभी एजेंसियों से जो इस प्रकार के ईक्विटी, अधिमान शेयरों, प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हो, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे एजेंसियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों पर निर्गमित इक्विटी शेयरों का सूचीकरण करते हो, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है।"

"आगे संकल्प किया जाता है निदेशक मंडल को प्रबंध से सलाह करके किसी मर्चेट बैंकर (रॉ), बुक रनर (रॉ) लीड प्रबंधकों, हामीदारों, परामर्शदाताओं और/या बैंक द्वारा यथा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति को निवेशकों के वर्ग सहित इश्यू की प्रकृति एवं शर्तों, प्रत्येक ट्रांच में आवंटित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, जारी मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य के निर्धारण करने, रिकार्ड तारीख या लेखा-बंदी एवं अन्य संबंधित या अनुषंगी मामले निर्धारित करने, भारत और/या विदेश में एक या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों को सूचीबद्ध करने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है, जैसा कि बोर्ड अपने विवेकाधिकार के अनुसार उचित समझे।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों/प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपाटन किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत है।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या ईक्विटी शेयर आवंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव, योग्य संस्थागत नियोजन की शर्तें निर्धारित करने हेतु जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं, प्रत्येक शृंखला में आवंटित किए जाने वाले शेयर/प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामले और किसी बात और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करने हेतु वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या वांछित समझे तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम में प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार के सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, उच्छेदन, संवर्धन, संबंधी शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए जो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, सदस्यों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए इसके द्वारा मंडल को प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसी सभी कार्यवाहियों, कृत्यों, मामलों और बातों को क्रियान्वित करे जिन्हें वह अपने विवेक के अनुसार आवश्यक, उपयुक्त एवं वांछनीय समझे, ईक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या शंका का निपटारा करे और ऐसी सभी कार्यवाहियों, कृत्यों, मामलों और बातों को, सभी दस्तावेजों और लेखों को अंतिम रूप दे और क्रियान्वित करे, जो आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो, उसके विवेकानुसार उपयुक्त, उचित या वांछनीय प्रतीत हो, जिसके लिए शेयरधारकों की सम्मति या अनुमोदन प्राप्त करने की आगे कोई भी आवश्यकता न पड़े, अथवा इस उद्देश्य या प्रयोजन से प्राधिकृत किया जाता है कि शेयरधारकों द्वारा इस संकल्प के प्राधिकार से, व्यक्त रूप से इस पर अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया जाना मान लिया गया है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल द्वारा स्वयं को प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशकों में से किसी को, अथवा ऐसे किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है जिसे वह उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए उपयुक्त मानता है।"

कार्य सूची मद संख्या 4

सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे **साधारण प्रस्ताव** के रूप में पारित करना:

"यह संकल्प लिया गया कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 24 तथा अन्य सभी लागू प्रावधानों के अंतर्गत, और उनके अंतर्गत समय-समय पर जारी परिपत्रों (जिसमें समय-समय पर किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन को सम्मिलित माना जाएगा) के साथ पठनीय, तथा बैंक के निदेशक मंडल की अनुशंसा के आधार पर, मेसर्स ए. सारस्वत एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज़ (यूनिक कोड नंबर - **S2015WB298700**) की नियुक्ति, बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में, पांच लगातार वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए - अर्थात् वित्त वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक - सचिवीय लेखा परीक्षा करने तथा सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट जारी करने हेतु, 55,000/- प्रति वित्तीय वर्ष के व्यावसायिक शुल्क पर, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है, **स्वीकृत** की जाती है।"

आगे यह संकल्प लिया गया कि बोर्ड को इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने तथा उससे संबंधित या उसके अनुपूरक/आनुषंगिक विषयों के लिए आवश्यक सभी कार्यों, कृत्यों एवं कार्यवाहियों को संपादित करने तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों और अभिलेखों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया जाता है।"

"आगे यह भी संकल्प लिया गया कि बोर्ड को इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने हेतु, यहां प्रदान की गई सभी या किसी एक शक्ति को मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव को अलग-अलग रूप से कार्य करने के लिए प्रत्यायोजित करने का अधिकार प्रदान किया जाता है।"

कार्य सूची मद संख्या 5

यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री रवि कुमार अग्रवाल की नियुक्ति

निम्नलिखित पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो **विशेष प्रस्ताव** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया गया कि संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 25(2ए) तथा विनियम 17(1सी), को बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) के साथ पठनीय रूप में, भारत सरकार की अधिसूचना सं. F.No.6/1(ix)/2024-BO.I दिनांक 11.04.2025 के अनुसार, श्री रवि

कुमार अग्रवाल की यूको बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में अधिसूचना की तिथि अर्थात् 11.04.2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, की गई नियुक्ति को इस प्रस्ताव द्वारा **अनुमोदित** किया जाता है।”

कार्य सूची मद संख्या 6

यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री अंजन तालुकदार की नियुक्ति

निम्नलिखित पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो **विशेष प्रस्ताव** के रूप में पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 25(2ए) तथा विनियम 17(1सी), को बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) के साथ पठनीय रूप में, भारत सरकार की अधिसूचना सं. F.No.6/1(x)/2024-BO.I दिनांक 11.04.2025 के अनुसार, श्री अंजन तालुकदार की यूको बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में अधिसूचना की तिथि अर्थात् 11.04.2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, की गई नियुक्ति को इस प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

(अश्वनी कुमार)

प्रबंध निदेशक एवं

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 20.05.2025

व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 3 - इक्विटी पूंजी जुटाने की योजना 2025-2026

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पूंजी जुटाने की योजना के एक भाग के रूप में, बैंक के बोर्ड ने 28.04.2025 को आयोजित अपनी बैठक में सेबी (पूंजी निर्गमन और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018 एवं यथासंशोधित अद्यतन और इस संबंध में सेबी/आरबीआई के अन्य लागू विनियम/दिशानिर्देश के अनुसार क्वालिफाइड इस्टीमेट/प्राइवेट प्लेसमेंट/ कर्मचारी शेयर खरीद योजना (ईएसपीएस) का पालन कर या अन्य माध्यम या उसका संयोजन से रु. 10/- के कुल मिलाकर 270,00,00,000 इक्विटी शेयर तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। क्वालिफाइड इस्टीमेट प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से पूंजी जुटाने की स्थिति में, यह सेबी (पूंजी निर्गमन और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018 के अध्याय VI के अनुसार होगा।
- इक्विटी शेयरों के निर्गमन के माध्यम से पूंजी जुटाने से बैंक में सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो वर्तमान में प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19ए के तहत निर्धारित न्यूनतम 25% सार्वजनिक हिस्सेदारी से कम है। वर्तमान में बैंक की सार्वजनिक हिस्सेदारी 9.05% है। बैंक द्वारा इन विकल्पों का प्रयोग प्रचलित बाजार स्थितियों के आधार पर किया जाएगा।
- बैंक अपनी चुकता पूंजी बढ़ाने के लिए बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बी)(सी) के अनुसार भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगा। इसके अलावा, बैंक सेबी के अन्य प्रासंगिक दिशा-निर्देशों/विनियमों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग समझौते का अनुपालन करेगा।
- सेबी (दायित्व सूचीकरण एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 का विनियमन 41(4) प्रावधान है कि बैंक द्वारा जब भी कोई नया शेयर जारी किया जाता है या नई पेशकश की जाती है, तो मौजूदा शेयरधारकों को प्रो-राटा आधार पर उसी के साथ पेश किया जाना चाहिए जब तक कि सामान्य बैठक में शेयरधारक इसके अतिरिक्त तय न कर लें। यदि उक्त संकल्प पारित हो जाता है, तो बोर्ड को बैंक की तरफ से मौजूदा शेयरधारकों को प्रो-राटा आधार पर उसके अलावा कुछ प्रतिभूति जारी करने तथा आबंटित करने का अधिकार होगा।
- ऑफर के लिए विस्तृत नियम और शर्तें सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों और हमीदारों (अंडरराइटर्स) और ऐसे अन्य प्राधिकारी या प्राधिकरणों के परामर्श से, मौजूदा बाजार की स्थितियों और अन्य नियामक आवश्यकताओं को देखते हुए, जो आवश्यक हो, निर्धारित की जा सकती है।
- वर्तमान प्रस्ताव बैंक के निदेशक मंडल को उचित समय, मोड, प्रीमियम और अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर बनाने, पेश करने, जारी करने और आवंटित करने में सक्षम बनाने के लिए प्रस्तावित है। इस निर्गम से प्राप्त धनराशि बैंक की पूंजी स्थिति को मजबूत करने में सहायता करेगी, जिससे बैंक की वृद्धि को समर्थन मिलेगा और सेबी द्वारा निर्धारित न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी (एमपीएस) मानदंडों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों का दर्जा सभी मायनों में अन्य बातों के साथ-साथ बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के बराबर होंगे। इस प्रयोजन के लिए बैंक को एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव के लिए शेयरधारकों की सहमति अपेक्षित है।
- बैंक या इसके निदेशकों या प्रवर्तकों में से कोई भी इरादतन चूककर्ता या भगोड़ा आर्थिक अपराधी नहीं है।
- बैंक में अपनी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार उपर्युक्त संकल्प (संकल्पों) में रुचि या संबंध नहीं रखते हैं।

निदेशक मंडल प्रस्तावित विशेष संकल्पों को पारित करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 4

सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति

यह व्याख्यात्मक विवरण सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 [सेबी लिस्टिंग विनियम] के विनियम 36(5) के अनुसार प्रदान किया गया है।

सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 24ए के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई को एक सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित करना आवश्यक है, जो सहकर्मी समीक्षा वाला कंपनी सचिव होगा और अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट संलग्न करेगा। इसके अतिरिक्त, एक सूचीबद्ध इकाई को अपनी वार्षिक आम बैठक में अपने शेयरधारकों की मंजूरी के साथ लगातार पांच वर्षों के अधिकतम एक कार्यकाल (व्यक्तिगत के मामले में) / दो कार्यकाल (फर्म के मामले में) के लिए एक सचिवीय लेखा परीक्षा फर्म नियुक्त करनी चाहिए।

तदनुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने मेसर्स ए सारस्वत एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (यूनिक कोड नंबर - S2015WB298700) को वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक लगातार पांच वर्षों की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की। यह नियुक्ति 22वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।

मेसर्स ए सारस्वत एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों का संक्षिप्त परिचय

ए. सारस्वत एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों की एक समकक्ष-समीक्षित फर्म है, जिसका नेतृत्व सीएस अनुज सारस्वत करते हैं, जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के फेलो सदस्य हैं, तथा जिन्हें कॉर्पोरेट सलाह और अनुपालन में एक दशक से अधिक का अनुभव है।

यह फर्म कंपनी कानून, सचिवीय लेखा परीक्षा, कॉर्पोरेट पुनर्गठन, बौद्धिक संपदा अधिकार और संबद्ध कानूनी डोमेन में एंड-टू-एंड सेवाएं प्रदान करती है। यह सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के विविध ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है, जिसे उत्कृष्टता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध योग्य पेशेवरों की एक टीम द्वारा समर्थित किया जाता है।

फर्म के संस्थापक और प्रिंसिपल सीएस अनुज सारस्वत पिछले दस वर्षों से कंपनी सचिव के रूप में पूर्णकालिक अभ्यास कर रहे हैं। वह एक लॉ ग्रेजुएट हैं और उनके पास बिजनेस पॉलिसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मास्टर डिग्री है। उनके पास जीएसटी प्रैक्टिशनर, पंजीकृत ट्रेडमार्क एजेंट के रूप में भी प्रमाण-पत्र हैं और वह एक योग्य स्वतंत्र निदेशक हैं।

श्री सारस्वत ने आईसीएसआई के भीतर कई नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाई हैं, उन्होंने 2021 में हुगली चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, और वर्तमान में आईसीएसआई के पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद (ईआईआरसी) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

अन्य प्रकटीकरण

1	सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने हेतु प्रस्तावित व्यक्ति/फर्म का नाम क्या है?	ए सारस्वत एंड एसोसिएट्स, एकल स्वामित्व वाली कंपनी मालिक - सीएस अनुज सारस्वत
2	क्या निदेशक मंडल ने सूचीबद्ध इकाई के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में व्यक्ति/फर्म की नियुक्ति की सिफारिश की है?	हाँ
3.	प्रस्तावित सचिवीय लेखा परीक्षक की वेबसाइट; सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित व्यक्ति / फर्म के अनुभव के वर्षों की संख्या: किसी व्यक्ति के लिए कंपनी सचिव के रूप में अभ्यासरत कंपनी सचिव के रूप में सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में	https://asaraswat.in/ 10 वर्ष 10 वर्ष 10 वर्ष
4.	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं (इविटी/ऋण) के नाम जिनके लिए व्यक्ति/फर्म सचिवीय लेखा परीक्षक है	पुष्कर बाणिज्य ली.
5.	प्रस्तावित सचिवीय लेखा परीक्षक के विरुद्ध आईसीएसआई/सेबी/एमसीए/किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय द्वारा भारत में अथवा भारत से बाहर पिछले 5 वर्षों में पारित आदेशों का विवरण	प्रस्तावित सचिवीय लेखा परीक्षक के विरुद्ध आईसीएसआई/सेबी/एमसीए/किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय द्वारा भारत में या भारत से बाहर पिछले 5 वर्षों में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।
6.	क्या प्रस्तावित सचिवीय लेखा परीक्षक ने सेबी के दिशा-निर्देशों के तहत प्रतिबंधित कोई सेवा सीधे या परोक्ष रूप से सूचीबद्ध इकाई या उसकी होल्डिंग कंपनी या सहायक कंपनी या किसी सहयोगी को प्रदान की है? यदि हाँ, तो ब्योरा दें और व्यक्ति/फर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो, तो उसका विवरण दें, और	ए सारस्वत एंड एसोसिएट्स द्वारा यूको बैंक को कोई प्रतिबंधित सेवाएं प्रदान नहीं की गई।

7	<p>शुल्क संबंधी</p> <p>क) सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में व्यक्ति/फर्म को देय प्रस्तावित शुल्क</p> <p>ख) पिछले/निवर्तमान लेखा परीक्षक को भुगतान की गई कुल फीस</p> <p>ग) पिछले/निवर्तमान लेखा परीक्षक की तुलना में प्रस्तावित सचिवीय लेखा परीक्षक को भुगतान किए जाने वाले प्रस्तावित लेखा परीक्षा शुल्क में भौतिक परिवर्तन का औचित्य;</p> <p>घ) प्रस्तावित सचिवीय लेखा परीक्षक या/और उसके सहयोगी प्रतिष्ठानों को भुगतान किए गए/देय गैर-लेखा परीक्षा शुल्क के प्रतिशत का प्रकटीकरण, उक्त लेखा परीक्षक को भुगतान किए गए/देय लेखा परीक्षा शुल्क से अधिक</p> <p>ड) प्रस्तावित सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में बैंक से प्राप्त कुल पारिश्रमिक/फीस आदि का विवरण।</p>	<p>रुपये 55,000/- (प्लस जीएसटी)</p> <p>रुपये 55,000/- (प्लस जीएसटी)</p> <p>लेखापरीक्षा शुल्क में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।</p> <p>शून्य</p> <p>शून्य</p>
8	<p>प्रस्तावित सचिवीय लेखा परीक्षक का पिछले संबंध (नाम और वर्षों की संख्या का खुलासा किया जाना है):</p> <p>(i) पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रमोटर / प्रमोटर समूह</p> <p>(ii) पिछले 3 वर्षों के दौरान सूचीबद्ध इकाई की समूह कंपनियां (होल्टिंग, सहायक, सहयोगी, संयुक्त उद्यम)।</p> <p>बशर्ते कि ऊपर उल्लिखित विवरण केवल तभी प्रकट किया जाएगा जब पिछले तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष में पिछले संबंध के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से कोई एक परिणाम निकला हो:</p> <p>व्यक्तिगत/एकमात्र स्वामित्व वाली संस्था के लिए: उस विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान ऊपर (i) और (ii) में उल्लिखित संस्थाओं से व्यक्तिगत/एकमात्र स्वामित्व वाली संस्था द्वारा प्राप्त कुल आय, नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के लिए व्यक्ति/स्वामी की कुल वार्षिक आय के 10% से अधिक थी।</p>	<p>ए. सारस्वत एंड एसोसिएट्स ने सचिवीय ऑडिट करने और बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट प्रदान करने के लिए 55,000/- रुपये प्लस जीएसटी के शुल्क पर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य किया।</p> <p>इसके अलावा, ए सारस्वत एंड एसोसिएट्स किसी भी सेवा के लिए बैंक से संबद्ध नहीं हैं।</p> <p>पिछले 3 वर्षों के दौरान बैंक के पास कोई होल्टिंग, सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम नहीं है।</p> <p>बैंक के पास एक प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक “पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक (पीबीजीबी)” था, जिसका 1 मई, 2025 से विलय हो गया। मेसर्स ए सारस्वत एंड एसोसिएट्स का पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी क्षमता में पीबीजीबी के साथ कोई संबंध नहीं है।</p>
9	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नियुक्ति की शर्तें	निदेशक मंडल ने मेसर्स ए सारस्वत एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में पांच वर्ष की अवधि के लिए, समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पर नियुक्ति को मंजूरी दी।
10	सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति / फर्म के खिलाफ पिछले आदेशों (यदि लागू हों) की सिफारिश करने के लिए निदेशक मंडल का तर्क	निदेशक मंडल ने मेसर्स ए. सारस्वत एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत योग्यता, अनुभव और दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद पाया कि वे लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र और उपयुक्त रूप से योग्य हैं। बोर्ड इस बात से संतुष्ट था कि कोई भी ऐसी अयोग्यता या प्रतिबंध नहीं है जो सेबी (एलओडीआर) विनियमों या प्रासंगिक नियामक दिशानिर्देशों के लागू प्रावधानों के तहत फर्म की पात्रता या स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा। फर्म की पेशेवर पृष्ठभूमि और अनुभव को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने प्रस्तावित कार्यकाल के लिए उनकी नियुक्ति की सिफारिश की।

मेसर्स ए. सारस्वत एंड एसोसिएट्स ने बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दे दी है और पुष्टि की है कि उनकी उपरोक्त नियुक्ति (यदि की जाती है) लागू अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (एलओडीआर) विनियमों के तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर होगी। उन्होंने यह भी पुष्टि की है कि वे लागू अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (एलओडीआर) विनियमों के प्रावधानों के अनुसार सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

बैंक का कोई भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक/उनके रिश्तेदार, बैंक में अपनी शोयरधारिता (यदि कोई हो) की सीमा को छोड़कर, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्य रूप से, संकल्प से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

बैंक का निदेशक मंडल मद संख्या 4 में दिए गए प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में शोयरधारकों के अनुमोदन हेतु अनुशंसित करता है।

कार्य सूची मद संख्या 5

यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में श्री रवि कुमार अग्रवाल की नियुक्ति

श्री रवि कुमार अग्रवाल को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (एच) के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत दिनांक 11.04.2025 की अपनी अधिसूचना एफ भारत सरकार अधिसूचना एफ.सं.6/1(x)/2024-बीओ.आई के माध्यम से यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए यानी 11.04.2025 या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो।

श्री रवि कुमार अग्रवाल का संक्षिप्त परिचय

श्री रवि कुमार अग्रवाल (आयु 59) पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वे सीए फर्म 'अग्रवाल एंड बरदिया' में भागीदार हैं और रायपुर, छत्तीसगढ़ में रहते हैं। श्री अग्रवाल 4 वर्षों तक भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के क्षेत्रीय सलाहकार बोर्ड में मानद सदस्य रहे हैं। श्री अग्रवाल की शैक्षणिक योग्यता में चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के अलावा बी.कॉम. (ऑनर्स) और एलएलबी शामिल हैं। वे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की राजकोषीय कानून समिति के सदस्य भी रहे हैं।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- श्री रवि कुमार अग्रवाल का संक्षिप्त परिचय ऊपर दिया गया है, जो लेखा, लेखा परीक्षा, कराधान और कानूनी मामलों में उनकी विशेषज्ञता को दर्शाता है। इसके अलावा, बैंकिंग व्यवसाय के संदर्भ में आवश्यक कौशल/क्षमताओं/विशेषज्ञता का भारत सरकार द्वारा मूल्यांकन किया गया और उसके आधार पर नियुक्ति की गई।
- निदेशकों के बीच कोई अंतर-संबंध नहीं है।
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद - शून्य
- सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जिनसे श्री रवि कुमार अग्रवाल ने पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दिया है - कोई नहीं।
- यूको बैंक में शोयरधारिता - शून्य

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 25(2ए) और 17(1सी) के परंतुक, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शोयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए।

उपरोक्त नियमों के अनुपालन में, बैंक के निदेशक मंडल ने संस्तुति की कि श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति के प्रस्ताव को शोयरधारकों के समक्ष इस 22वीं वार्षिक आम बैठक में विशेष संकल्प के माध्यम से उनकी मंजूरी हेतु प्रस्तुत किया जाए।

श्री रवि कुमार अग्रवाल या उनके रिश्तेदारों के उनकी शोयर धारिता की सीमा तक के अलावा बैंक के निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, यदि कोई हो, उक्त संकल्प में सचि या संबंध नहीं रखता है।

कार्य सूची मद संख्या 6

यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में श्री अंजन तालुकदार की नियुक्ति

श्री अंजन तालुकदार को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (एच) के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत दिनांक 11.04.2025 की अपनी अधिसूचना एफ भारत सरकार अधिसूचना एफ.सं.6/1(x)/2024-बीओ.आई के माध्यम से यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए यानी 11.04.2025 या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो।

श्री अंजन तालुकदार का संक्षिप्त प्रोफ़ाइल

श्री अंजन तालुकदार (आयु 58 वर्ष) को कानूनी, प्रबंधन और वित्त सहित विविध क्षेत्रों में विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों में 30 से अधिक वर्षों का कार्य अनुभव है। वह वर्तमान में प्रीमियर क्रायोजेनिक्स लिमिटेड के निदेशक-सह-कंपनी सचिव हैं और गुवाहाटी, असम में रहते हैं। श्री तालुकदार की शैक्षणिक योग्यताओं में बी.कॉम, एफसीएस, एलएलबी शामिल हैं। उन्होंने सीसीजीआरटी, हैदराबाद, आईआईएम, अहमदाबाद और हेनले मैनेजमेंट कॉलेज, यूके जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से कई प्रबंधन विकास, कानूनी और शासन कार्यक्रम भी पूरे किए हैं। अन्य पेशेवर गतिविधियों के अलावा, वे आईसीएसआई के एन.ई. चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष, एन.ई. क्षेत्र के उद्योग और वाणिज्य महासंघ की बैंकिंग और बीमा समिति के पूर्व सदस्य, एक प्रकाशन गृह के प्रमोटर निदेशक, कानून, कराधान और प्रबंधन से संबंधित विषयों पर लेखक और अतिथि संकाय थे।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- श्री अंजन तालुकदार का संक्षिप्त परिचय उम्र दिया गया है, जो लेखांकन, कॉर्पोरेट कानून और कानूनी मामलों में उनकी विशेषज्ञता को दर्शाता है। इसके अलावा, बैंकिंग व्यवसाय के संदर्भ में आवश्यक कौशल/क्षमताओं/विशेषज्ञता का भारत सरकार द्वारा मूल्यांकन किया गया और उसके आधार पर नियुक्ति की गई।
- निदेशकों के बीच कोई अंतर-संबंध नहीं है।
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद - शून्य
- सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जिनसे श्री अंजन तालुकदार ने पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दिया है - कोई नहीं।
- यूको बैंक में शेयरधारिता - शून्य

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के नियम 25(2ए) तथा धारा 17(1सी) के अनुसार बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए।

उपर्युक्त विनियमों का अनुपालन करने के लिए, बैंक के निदेशक मंडल ने सिफारिश की है कि श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति का प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इस 22वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखा जाए।

श्री अंजन तालुकदार या उनके रिश्तेदारों बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो के अलावा बैंक के किसी भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का उक्त प्रस्ताव में कोई हित या सरोकार नहीं है।

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 20.05.2025

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

(अश्वनी कुमार)
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने तथा रिमोट ई-वोटिंग सहित इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से पहुंच एवं वोटिंग करने के लिए सामान्य निर्देश

1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने पर विनियामक निर्देश

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19.09.2024 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुसार, सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 03.10.2024 के साथ पढ़ें, एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना एक आम स्थल पर बैंक की एजीएम आयोजित करने में एमसीए और सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी।

एजीएम बैठक का अवधारित स्थल यूको बैंक प्रधान कार्यालय, 10, बीटीएम सारणी, कोलकाता-700001 होगा।

2. वीसी के माध्यम से एजीएम में शामिल होना

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाएगी। मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एजीएम के लिए सहायक के रूप में भी काम करेगा।

शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं, जिसे शेयरधारकों के लिए 19 जून 2025 को सुबह 10:45 बजे से खुला रखा जाएगा, यानी एजीएम शुरू होने के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पहले। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की विंडो निर्धारित समय से 30 मिनट बाद बंद हो सकती है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भागीदारी की सुविधा पहले आए पहले पाएं के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रतिबंध में बड़े शेयरधारक (2% या अधिक हिस्सेदारी वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आए पहले पाएं के आधार पर प्रतिबंध के बिना वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की अनुमति दी गई है।

3. उपस्थिति

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

4. प्रॉक्सी और प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

चूंकि यह वार्षिक साधारण बैठक एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में एमसीए वीसी/ओएवीएम के जरिए आयोजित की जा रही है, सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति की व्यवस्था हटा दी गई है। तदनुसार, वार्षिक साधारण बैठक के लिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सियों की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। अतः इस नोटिस के साथ प्रॉक्सी आवेदन पत्र और उपस्थिति पत्रक संलग्न नहीं किए गए हैं।

तथापि, निगमित निकाय वीसी के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और उसके बाद ई-वोटिंग के माध्यम से मत डालने के हकदार हैं। इस संबंध में, प्रासंगिक बोर्ड संकल्प की स्कैन प्रति को मतदान के लिए अधिकृत व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के प्रमाणित हस्ताक्षर के साथ संवीक्षक को बैठक की तारीख से चार दिन पहले 12 जून 2025 को शाम 5:00 बजे तक या उससे पहले evoting@kfintech.com एवं hosgr.calcutta@ucobank.co.in, को प्रतिलिपि के साथ scrutinizer@snaco.net ई-मेल द्वारा भेजा जाना आवश्यक है।

बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 2003 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

5. रिकॉर्ड तिथि और लेखाबन्दी

लाभांश भुगतान की रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 9 मई 2025 थी।

6. लाभांश का भुगतान

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 10 रुपये के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 0.39 रुपये के लाभांश की अनुशंसा की है।

लाभांश का भुगतान, यदि शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है, तो उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम शामिल होंगे:

क) इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में एनएसडीएल/सीडीएसएल के रिकॉर्ड के अनुसार, शुक्रवार, 09 मई 2025 को व्यावसायिक समय की समाप्ति पर लाभकारी स्वामी के रूप में।

ख) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से प्राप्त वैध प्रेषण अनुरोधों को प्रभावी करने के बाद शुक्रवार, 09 मई 2025 तक शेयरधारकों रजिस्टर में।

आरटीए को सेबी के निर्देशों के संदर्भ में बैंक उन शेयरधारकों को लाभांश वारंट नहीं भेजेगा जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिनके बैंक खाते का विवरण अद्यतन नहीं है। उन्हें तुरंत अपना बैंक विवरण अद्यतन करना है।

पात्र शेयरधारक को लाभांश का भुगतान/वितरण 18 जुलाई 2025 तक किया जाएगा।

7. लाभांश के स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)

शेयरधारक ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') में बदलाव के अनुसार, लाभांश शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य आय होगी और बैंक को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करना आवश्यक है। कर कटौती/रोक की दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति और दस्तावेजी आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन अधिनियम में उल्लिखित छूट के आधार पर अलग-अलग होगी।

कर योग्य सीमा से कम कुल आय वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे टीडीएस कटौती से छूट का दावा करने के लिए बैंक को ई-मेल आईडी hosgr.calcutta@ucobank.co.in या बैंक के आरटीए को ई-मेल आईडी einward.ris@kfintech.com पर फॉर्म 15G(60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए लागू)/15H(60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति के लिए लागू) जमा करें।

कृपया ध्यान दें कि कर निर्धारण/कटौती पर किसी भी संसूचना/दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा यदि वह 30 मई 2025 को कारोबारी समय यानी शाम 6.00 बजे को या उससे पहले बैंक को प्राप्त नहीं हो जाता है।

8. वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश

- मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सदस्य को एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्य <https://emeetings.kfintech.com> पर जाकर 'वीडियो कॉन्फ्रेंस' पर क्लिक कर दूरस्थ ई-वोटिंग पहचान का उपयोग करके शेयरधारकों/सदस्यों पर लॉग-इन कर सकते हैं।
- एजीएम के लिए लिंक दूरस्थ ई-वोटिंग पहचान का उपयोग करके शेयरधारक/ सदस्य लॉग-इन में उपलब्ध होगा। एजीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों के लॉग-इन में उपलब्ध होगा, जहां ईवेंट और यूको बैंक को चुना जाना है।
- कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
- सदस्य बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम के साथ लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए सदस्यों को एक अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करना आवश्यक होगा।
- कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने नेटवर्क में उत्तर-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो सुनाई या दिखाई नहीं देने का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उक्त खामियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

9. एजीएम से पहले वक्ता के पंजीकरण और प्रश्नों की रिकॉर्डिंग की सुविधा:

- जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं / प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं और <https://emeetings.kfintech.com> पर लॉग इन कर सकते हैं और नाम, डी मैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करके उपलब्ध कराई गई विंडो 'अपने प्रश्न पोस्ट करें' पर क्लिक करके अपने सवाल/विचार/प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर तभी दिया जाएगा, जब निर्दिष्ट तारीख को शेयरधारक के पास शेयर रहते हैं। स्पीकर पंजीकरण और प्रश्नों की पोस्टिंग दिनांक 15 जून, 2025 (10.00 बजे प्रातः) से शुरू होगी और दिनांक 17 जून, 2025 (5.00 बजे सायं) को बंद होगी।
- जिन शेयरधारकों ने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हीं वक्ताओं को अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। बैंक द्वारा प्रश्नों का उत्तर उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।
- एजीएम के दौरान, जो सदस्य पहले से पंजीकृत हैं, उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में बोलने की अनुमति दी जाएगी और फिर एजीएम के दौरान पंजीकरण करने वालों को बोलने का विकल्प दिया जाएगा।
- एजीएम के दिन प्रश्न और उत्तर के दौरान वक्ताओं का पंजीकरण ट्रांसमिशन और तकनीकी समन्वय की बाधाओं के कारण समाप्त किया जा सकता है।

10. इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 (यथासंशोधित) के नियम 20 के अनुसार पठित एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (यथासंशोधित) के विनियमन 44 के प्रावधानों तथा एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में बैंक वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है।

वे सदस्य जो सदस्यों के मत देने के अधिकार का निर्धारण करने के लिए निर्दिष्ट तारीख दिनांक 12 जून, 2025 को शेयर धारण कर रहे हैं, मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से या एजीएम में मतदान करने के हकदार होंगे। जो व्यक्ति निर्दिष्ट तारीख को सदस्य नहीं हैं वे केवल सूचना के उद्देश्य से इस नोटिस को समझें।

यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2003 के अनुसार संयुक्त धारकों के मामले में, जिस सदस्य का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार पहले प्रकट होगा, वह वार्षिक आम बैठक में मत देने का हकदार होगा, बशर्ते कि दूरस्थ ई-मतदान के जरिए मत पहले ही न डाल दिए गए हों।

11. डीमैट रूप में शेयर रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए डिपॉजिटरी(एनएसडीएल/सीडीएसएल) के जरिए दूरस्थ ई-मतदान हेतु अनुदेश

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदत्त ई-मतदान सुविधा पर सेबी के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/ सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार, प्रतिभूतियों को डीमैट स्वरूप में रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों को, डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी सहभागियों द्वारा संचालित अपने डीमैट खातों के जरिए मतदान करने की अनुमति है। ई-मतदान सुविधा प्राप्त करने के लिए शेयरधारक अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतन करें।

उपर्युक्त सेबी परिपत्र के अनुसरण में, डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों द्वारा ई-मतदान और वर्चुअल बैठकों में शामिल होने की प्रवेश प्रक्रिया निम्नानुसार है:

एनएसडीएल	सीडीएसएल
<p>1. आईडीईएस सुविधा के लिए पूर्व पंजीकृत उपयोगकर्ता</p> <p>I. यूआरएल/URL: https://eservices.nsdl.com</p> <p>II. आईडीईएस' खंड के अंतर्गत "लाभार्जक मालिक बेनेफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें।</p> <p>III. नए पेज पर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड डालें। सफल प्रमाणीकरण के बाद 'ई-मतदान तक पहुँच(एक्सेस टू ई-वोटिंग)' पर क्लिक करें।</p> <p>IV. कंपनी के नाम या ई-मतदान सेवाप्रदाता पर क्लिक करें और आपको ई-मतदान सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर ले जाया जाएगा जहाँ पर आप दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान मत दे सकते हैं।</p>	<p>1. वर्तमान उपयोगकर्ता जिन्होंने ईएसआई/ ईएसआईईएसटी का विकल्प लिया है</p> <p>I. यूआरएल : https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या यूआरएल : www.cdslindia.com</p> <p>II. न्यू सिस्टम मायइजी पर क्लिक करें।</p> <p>III. उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड से प्रवेश करें।</p> <p>IV. आगे किसी और प्रमाणीकरण बिना ई-मतदान पेज तक पहुँचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।</p> <p>V. अपना मत देने के लिए ई-मतदान सेवाप्रदाता का नाम क्लिक करें।</p>
<p>2. उपयोगकर्ता आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है</p> <p>I. पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें:</p> <p>II. 'रजिस्टर ऑनलाइन फॉर आईडीईएस' का चयन करें।</p> <p>III. अपेक्षित फील्डों को पूरा करते हुए आगे बढ़ें। वैकल्पिक रूप से,</p> <p>I. पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें:https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</p> <p>II. अपेक्षित फील्डों को पूरा करते हुए आगे बढ़ें।</p>	<p>2. उपयोगकर्ता ईएसआई/ईएसआईईएसटी के लिए पंजीकृत नहीं है</p> <p>I. पंजीकरण का विकल्प यहाँ उपलब्ध है:web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration</p> <p>II. अपेक्षित फील्डों को पूरा करते हुए आगे बढ़ें।</p>
<p>3. एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट पर जाकर</p> <p>I. यूआरएल/URL: https://www.evoting.nsdl.com/</p> <p>II. 'शेयरधारक/सदस्य' खंड के अंतर्गत उपलब्ध 'लॉग-इन' आइकन पर क्लिक करें।</p> <p>III. उपयोगकर्ता आईडी (यानी एनएसडीएल के पास स्थित 16-अंकीय डीमैट खाता), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाई देनेवाला एक सत्यापन कोड दर्ज करें।</p> <p>IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर ले जाया जाएगा जहाँ आप ई-मतदान पेज देख सकते हैं।</p> <p>V. कंपनी या ई-मतदान सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको ई-मतदान सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर ले जाया जाएगा जहाँ पर आप दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान मत दे सकते हैं।</p>	<p>3. सीडीएसएल की ई-मतदान वेबसाइट पर जाकर</p> <p>I. यूआरएल/URL: www.cdslindia.com</p> <p>II. डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करें।</p> <p>III. सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल एवं ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता का प्रमाणीकरण करेगा।</p> <p>IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहाँ ई-मतदान प्रक्रिया चल रही है।</p>

नोट - एनएसडीएल के मामले में - OTP-आधारित लॉगिन के लिए, शेयरधारक <https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp> पर जा सकते हैं।

शेयरधारकों को अपना 8-अंकों का DP ID, 8-अंकों का क्लाइंट ID, पैन नंबर तथा सत्यापन कोड दर्ज करना होगा, इसके पश्चात 'Generate OTP' (ओटीपी जनरेट करें) पर क्लिक करना होगा। पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें और 'Login' (लॉगिन) पर क्लिक करें।

सफल प्रमाणीकरण के बाद, शेयरधारकों को NSDL डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ ई-वोटिंग पृष्ठ दिखाई देगा। वहाँ 'UCOBANK' या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें, जिसके पश्चात आप ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित हो जाएंगे। वहाँ आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डाल सकते हैं या वर्चुअल बैठक के दौरान बैठक में शामिल होकर मतदान कर सकते हैं।

12. डीमैट स्वरूप में शेयर रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए डिपॉजिटरी सहभागी के जरिए दूरस्थ ई-मतदान किए जाने हेतु अनुदेश

वैयक्तिक सदस्य एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी सहभागी के जरिए अपने डीमैट खाते के लॉग-इन ब्योरों का इस्तेमाल करके भी ई-मतदान सुविधा के लिए लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार लॉग-इन करने पर सदस्य को ई-मतदान विकल्प दिखाई देने लगेगा। ई-मतदान विकल्प पर क्लिक करने पर सदस्य सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी की साइट पर ले जाया जाएगा। कंपनी का नाम या ई-मतदान सेवा प्रदाता का नाम क्लिक करने पर सदस्य को ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर ले जाया जाएगा, ताकि वह दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान अपना मत दे सके या वर्चुअल बैठक में शामिल हो सके तथा बैठक के दौरान मतदान कर सके।

महत्वपूर्ण सूचना: जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं वे उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता आईडी भूल गए(फॉरगेट यूजर आईडी) और पासवर्ड भूल गए(फॉरगेट पासवर्ड) विकल्प का उपयोग करें।

डीमैट स्वरूप में शेयर रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए डिपॉजिटरी, यथा सीडीएसएल एवं एनएसडीएल के जरिए लॉग-इन करने से जुड़े किन्हीं तकनीकी मुद्दों के लिए हेल्पडेस्क

सदस्यों को पेश आ रहा कोई तकनीकी मुद्दा - एनएसडीएल	सदस्यों को पेश आ रहा कोई तकनीकी मुद्दा - सीडीएसएल
लॉग-इन में कोई तकनीकी समस्या आने पर सदस्य एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।	लॉग-इन में कोई तकनीकी समस्या आने पर सदस्य सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज सकते हैं अथवा 022- 23058738 या 22-23058542-43 पर कॉल कर सकते हैं।

13. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले भौतिक शेयरधारकों और डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश

दूरस्थ ई-मतदान के लिए प्रक्रिया और तरीके का विवरण नीचे दिया गया है।

प्रारंभिक पासवर्ड ई-मेल में दिया गया है।

- रिमोट ई-वोटिंग के लिए <https://evoting.kfintech.com> पर लॉग-इन करें
- बैंक के शेयरधारक अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज करा सकते हैं, भले ही अंतिम तारीख अर्थात् 12 जून 2025 को वे मूर्त रूप में अथवा अमूर्त रूप में शेयर धारित किए हुए हों।
- लॉगइन विवरण (यानी एजीएम की नोटिस में उल्लिखित आईडी एवं पासवर्ड) दर्ज करें। आपका फोलियो नं./डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी ही आपका यूजर आईडी होगा।
- सही तरीके से विवरण भरने के पश्चात लॉगइन पर क्लिक करें।
- अब आप पासवर्ड बदलने वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना पड़ेगा। नए पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होंगे जिनमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z) अक्षर, एक संख्या (0-9) और एक विशेष चिह्न होगा। सिस्टम द्वारा पहली बार लॉग इन करने पर पासवर्ड बदलने तथा संपर्क-विवरण, जैसे मोबाइल नंबर, ई-मेल आदि को अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। आप गुप्त प्रश्न में जाकर अपनी पसंद का उत्तर दर्ज कर सकते हैं जिससे यदि आप पासवर्ड भूल जाएं तो उसे पुनः प्राप्त कर सकें। आपको सचेत किया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें एवं उसे गोपनीय रखने हेतु पूरी सावधानी बरतें।
- आपको नए विवरण के साथ फिर से लॉगइन करना होगा।
- सफल लॉग-इन पर, सिस्टम आपको ईवेंट, यूको बैंक का चयन करने के लिए संकेत देगा। मतदान पृष्ठ पर, आपके द्वारा निर्दिष्ट तारीख को धारित शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है) दिखाई देगी। यदि आप सभी मतों को संकल्प के पक्ष/विपक्ष में डालना चाहते हैं तो सभी शेयरों को दर्ज करें और 'पक्ष/विपक्ष', जैसी भी स्थिति हो, या आंशिक रूप से 'पक्ष' और आंशिक रूप से 'विपक्ष' पर क्लिक करें लेकिन 'पक्ष' और/या 'विपक्ष' की कुल संख्या निर्दिष्ट तारीख को आपकी कुल शेयरहोल्डिंग से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप अनुपस्थित विकल्प का भी चयन कर सकते हैं लेकिन धारित शेयरों की गणना किसी भी पक्ष में नहीं की जाएगी।
- एक उपयुक्त विकल्प चुनकर अपना मत डालें और 'समिट' पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा।
- कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अभिप्राणित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की प्रमाणित प्रति की स्कैन की गई छवि (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) को संवीक्षक को ईमेल पर scrutinizer@snaco.net भेजना होगा तथा अपने लॉग-इन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी अपलोड करना होगा। उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि का नामकरण प्रारूप 'यूको बैंक इवेंट सं.' होगा।

- x. निर्दिष्ट तारीख यानी 12 जून, 2025 को शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक संकल्प के पक्ष या विपक्ष में अपना मत दे सकते हैं।
- xi. पुष्टि के लिए 'OK' पर या संशोधन करने हेतु 'CANCEL' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद आपको अपने मत के पुनः संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक कितनी भी बार लॉग इन कर सकते हैं, जब तक कि उन्होंने संकल्प पर मत न दे दिया हो।
- xii. कई फोलियो/डीमैट खाते वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे।
- xiii. शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर अपना मत दे देने पर बाद में उसे पुनः संशोधित करने का मौका नहीं दिया जाएगा।
- xiv. वोटिंग के लिए पोर्टल 16 जून, 2025 को सुबह 9 बजे से 18 जून, 2025 को शाम 5 बजे तक खुला रहेगा।
- xv. इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप शेयरधारकों हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा <https://evoting.kfintech.com> के डाउनलोड सेक्शन में शेयरधारकों के ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड को 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर फोन कर सकते हैं।

14. ई-एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए निर्देशः

ई-एजीएम कार्यवाही के दौरान वीडियो स्क्रीन के बाएं कोने पर ई-वोटिंग 'थंब साइन' अध्यक्ष के निर्देश पर सक्रिय किया जाएगा। शेयरधारक उन्हें 'इंस्टापोल' पृष्ठ पर ले जाने के लिए उसी पर क्लिक करेंगे।

सदस्यों को संकल्प पृष्ठ पर पहुंचने के लिए 'इंस्टापोल' आइकन पर क्लिक करना है और संकल्प पर मतदान करने के लिए निर्देशों का पालन करना है।

केवल वे शेयरधारक, जो ई-एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना मत नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से वंचित नहीं किया गया है, वे ई-एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मत डालने के लिए पात्र होंगे।

15. मतदान का परिणाम

बैंक ने मैसर्स एस एन अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया है जो अच्छे और पारदर्शी तरीके से दूरस्थ ई-मतदान तथा एजीएम में ई-मतदान प्रक्रिया के संचालन की देखरेख करेंगे।

संवीक्षक वार्षिक आम बैठक में मतदान के समापन के तुरंत बाद, वार्षिक आम बैठक के दौरान पहली बार डाले गए वोटों की गिनती करेगा तथा उसके बाद दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों को अनब्लॉक करेगा तथा वार्षिक आम बैठक की समाप्ति के 48 घंटे के भीतर पक्ष या विपक्ष में डाले गए कुल मतों, यदि कोई हो, पर समेकित संवीक्षक रिपोर्ट अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा जो उसपर अपने प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम को बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com पर तुरंत प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही साथ बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को परिणामों को अग्रेषित करेगा, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।

16. अदत्त / अदावाकृत लाभांश

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 ख के अनुसार यदि कोई राशि अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की जाती है और ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त/अदावाकृत रहती है तो उसे कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205C(1)/125 के तहत स्थापित "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में अंतरित किया जाएगा।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों के संदर्भ में, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 तक के सभी अदत्त/ दावा न किए गए लाभांश को 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि' में स्थानांतरित कर दिया था। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक लाभांश की घोषणा नहीं की है।

17. शेयरों के हस्तांतरण के लिए अनिवार्य अमूर्तीकरण

अधिसूचना दिनांक 01.04.2019 के साथ पठित गजट अधिसूचना दिनांक 8 जून, 2018 द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (विनियमन और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का सूचीकरण), विनियमन, 2015 के विनियमन 40 के संशोधन के अनुसरण में सभी शेयरों को दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से ही अनिवार्य रूप से अमूर्तीकरण रूप में हस्तांतरित करना है।

तदनुसार, दिनांक 01.04.2019 से, कोई भी शेयर भौतिक रूप में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। तथापि, उक्त प्रतिबंध प्रतिभूतियों के प्रसारण या हस्तांतरण के अनुरोधों पर लागू नहीं होता है।

उपरोक्त संशोधन के मद्देनजर, यूको बैंक के भौतिक शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारकों से एक बार फिर से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने शेयरों को अमूर्तीकरणरूप में हस्तांतरित करें। शेयरधारक दोनों डिपॉजिटरी यथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में किसी भी डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से डीमैट खाता खोल सकते हैं।

18. डाक पता/बैंक अधिदेश/अन्य विवरण में परिवर्तन

i. मूर्त रूप में शेयर धारण

सेबी ने 3 नवंबर, 2021 के अपने परिपत्र (बाद में 14 दिसंबर, 2021, 16 मार्च, 2023 और 17 नवंबर, 2023 के परिपत्रों द्वारा संशोधित) के माध्यम से यह अनिवार्य कर दिया कि प्रतिभूतियों के धारक (भौतिक रूप में प्रतिभूतियां धारण करने वाले), जिनके फोलियो केवाईसी विवरण (कोई भी विवरण जैसे पैन; नामांकन का विकल्प; संपर्क विवरण; मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण और हस्ताक्षर, यदि कोई हो) के साथ अद्यतन नहीं हैं, वे 1 अप्रैल, 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश सहित किसी भी भुगतान के पात्र होंगे। सेबी ने इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों (आरटीए) के रजिस्ट्रार द्वारा संसाधित निवेशक सेवा अनुरोधों के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जारी किए हैं, जिन्हें इस लिंक https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/jan-2024/1704433843359.pdf के माध्यम से देखा जा सकता है।

उपर्युक्त सेबी परिपत्र को देखते हुए, भौतिक प्रतिभूतियां रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वैध पैन, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण तुरंत निम्नांकित फार्मों में आरटीए को प्रदान करें।

क्र.सं.	फार्म	उद्देश्य
1.	फार्म आईएसआर-1	पैन/केवाईसी विवरण पंजीकरण/अद्यतन के लिए
2.	फार्म आईएसआर-2	बैंकर द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि के लिए
3.	फार्म आईएसआर-3	नामांकन का विकल्प छोड़ने का घोषणा पत्र
4.	फार्म एसएच-13	नामांकन फार्म

उपर्युक्त सभी फार्म बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com एवं आरटीए की वेबसाइट www.kfintech.com पर उपलब्ध हैं। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे विधिवत भरे गए अपने फार्म नीचे दिए गए पते पर भेजें:

मे. केफिन टेक्नॉलॉजीज़ लिमिटेड

(यूनिट यूको बैंक)

सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32

गचीबाउली, फाइनैशियल डिस्ट्रिक्ट,

नानाक्रमगुडा, हैदराबाद-500032.

टोल फ्री: 1800-309-4001

ई-मेल: einward.ris@kfintech.com

अनिवार्य विवरण (अर्थात् पैन; नामांकन का विकल्प; संपर्क विवरण; मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण और हस्ताक्षर) अद्यतन हो जाने के बाद, लाभांश, लंबित यदि कोई हो, का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से शेयरधारक के बैंक खाते में किया जाएगा।

ii. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों धारण

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखनेवाले लाभार्जक मालिकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपने पते, बैंक विवरण, यथा बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, ईसीएस अधिदो, ई-मेल पते आदि अद्यतन करवा लें।

वे शेयरधारक जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं तथा जिनके लाभांश का भुगतान डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के रिकॉर्ड में बैंक खाते के विवरण अद्यतन न होने/अनुपलब्धता या बैंक खाते के गलत विवरण के कारण नहीं किया जा सका है, तो उनका लाभांश बैंक के अदत्त लाभांश खाते में रखा जाएगा। डीपी के रिकॉर्ड में बैंक खाते का विवरण अपडेट हो जाने पर वे लाभांश का भुगतान जारी करने के लिए बैंक/आरटीए से अनुरोध कर सकते हैं।

19. शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्राचार

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने पंजीकृत पते या अन्य किसी प्रकार के विवरण में परिवर्तन से संबंधित सूचना, यदि कोई हो, डीमैट शेयरों के मामले में अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से एवं प्रत्यक्ष शेयरों के मामले में सीधे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड,

यूनिट: यूको बैंक,

कार्वा सीलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गचीउली,

फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद - 500 032

टोल फ्री नं. : 1800-309-4001

ऑनलाइन पृष्ठ/शिकायत के लिए बैंक के शेयरधारक मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.kfintech.com पर लॉग-इन करें और अपनी पृष्ठ/शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज कराने के लिए इन्वेस्टर सर्विसेस पृष्ठ पर क्लिक करें।

20. शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष

शेयरधारकों को त्वरित एवं बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं किसी भी प्रकार की सहायता के लिए निम्नलिखित पते पर इस कक्ष से संपर्क कर सकते हैं:

श्री विकास गुप्ता, कंपनी सचिव, शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय: 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस (तीसरा तल), कोलकाता - 700 001 दूरभाष: 033-44557227

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

(अश्वनी कुमार)

प्रबंध निदेशक एवं

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 20.05.2025



प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700 001

Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

Notice

NOTICE is hereby given that the 22nd Annual General Meeting of the Shareholders of UCO Bank will be held through Video Conference(VC) /Other Audio Visual Means (OAVM) on Thursday, 19th June 2025, at 11:00 AM to transact the following business:-

Ordinary Business

Agenda Item no.1

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2025, Profit and Loss account for the year ended 31st March 2025, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Agenda Item no.2

To declare dividend on equity shares of the Bank for the financial year 2024-25.

Special Business

Agenda Item no.3

Equity Capital Raising Plan 2025-26

To consider and if thought fit, to pass the following as a **Special Resolution** :

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time and all other applicable Acts/laws, including any amendment thereto or re-enactment thereof and other Rules / Notifications / Circulars /Regulations / Guidelines, if any prescribed by the Government of India ("GOI"), Reserve Bank of India ("RBI"), Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), or any other relevant authority, from time to time, to the extent applicable and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the RBI, GOI, SEBI and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulations), Foreign Exchange Management (Non Debt Instruments) Rules, 2019 as amended, and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot upto 270,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each aggregating to Rs.2700,00,00,000 at face value (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, whether at a discount or premium to the market price or issue price or floor price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment of equity shares shall be by way of Follow on public issue, Qualified Institutional Placement (QIP) or any other mode approved by GOI/RBI, with or without over-allotment or Green Shoe option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, ICDR Regulations and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"RESOLVED FURTHER THAT Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and/or underwriters and/or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of qualified Institutional placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations

- a) the allotment of securities shall only be to Qualified Institutions Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid up and the allotment of such securities shall be completed within 365 days from the date of passing of this resolution, or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time.
- b) The Bank pursuant to provisions of Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer at a discount not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the ICDR Regulations.
- c) the relevant date for determination of the floor price of securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (including rules and regulations framed thereunder) as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Merchant Banker(s), Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents etc., with such agencies and to seek the listing of such Equity Shares issued on the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Merchant Banker(s), Book Runner(s), Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares are to be allotted, number of shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, fixing of record date or book closure and related or incidental matter, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board be and is hereby authorised to determine the terms of the public offer, Qualified Institutional Placement including the class of investors to whom the equity shares are to be allotted, the number of shares to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alternations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & CEO or to the Executive Director(s) or to Committee of Directors or such other officer(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

Agenda Item no.4

Appointment of Secretarial Auditor

To consider and, if thought fit, to pass the following Resolution as an **Ordinary Resolution** :

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 24A and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with circulars issued thereunder from time to time (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), and based on the recommendation of the Board of Directors of the Bank, the appointment of M/s A Saraswat & Associates, Practising Company Secretaries (Unique Code Number - S2015WB298700) as the Secretarial Auditor of the Bank for a term of five consecutive years, commencing from the financial year 2025-26 to 2029-30, to conduct the Secretarial Audit and issue the Secretarial Audit Report and Annual Secretarial Compliance Report, at a professional fee of Rs.55,000/- per financial year, approved by the Board of Directors of the Bank, be and is hereby **approved**."

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, and things, and to sign all such documents and writings, as may be necessary to give effect to this resolution and for matters connected therewith or incidental thereto.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chief Financial Officer and the Company Secretary, to act severally for giving effect to the aforesaid resolutions."

Agenda Item no.5

Appointment of Shri Ravi Kumar Agrawal as Part-time Non-Official Director on the Board of UCO Bank

To consider and if thought fit, to pass the following as **Special Resolution** :

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 25(2A) and Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, read with clause (h), of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the appointment of Shri Ravi Kumar Agrawal as Part-time Non-Official Director on the Board of UCO Bank pursuant to GOI Notification F.No.6/1(ix)/2024-BO.I dated

11.04.2025 for a term of one year from the date of notification i.e. 11.04.2025 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby **approved**."

Agenda Item no.6

Appointment of Shri Anjan Talukdar as Part-time Non-Official Director on the Board of UCO Bank

To consider and if thought fit, to pass the following as **Special Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 25(2A) and Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, read with clause (h), of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the appointment of Shri Anjan Talukdar as Part-time Non-Official Director on the Board of UCO Bank pursuant to GOI Notification F.No.6/1(x)/2024-BO.I dated 11.04.2025 for a term of one year from the date of notification i.e. 11.04.2025 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby **approved**."

By order of the Board of Directors

sd/-

(Ashwani Kumar)
Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Kolkata
Date: 20.05.2025

EXPLANATORY STATEMENT

Item No.3 - Equity Capital Raising Plan 2025-26

- As a part of capital raising plan for the FY 2025-26, the Board of the Bank at its meeting held on 28.04.2025 approved the proposal to issue and allot upto 270,00,00,000 equity shares of face value of Rs.10/- each aggregating to Rs.2700,00,00,000 (at face value) by way of Qualified Institutional Placement (QIP)/ Private Placement/ Follow on Public Issue/Employee Share Purchase Scheme (ESPS) or any other mode(s) or combination(s) thereof, in accordance with SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 and as amended up to date and other applicable Regulations/Guidelines of SEBI/RBI in this regard. In the event of raising of capital undertaken through Qualified Institution Placement (QIP), the same will be in accordance with Chapter VI of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.
- Raising of capital through issue of equity shares would help in increasing the public shareholding in the Bank which is at present below the Minimum required Public Shareholding of 25% as stipulated in Rule 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957. At present, public shareholding of the Bank is 9.05%. These options will be exercised by the Bank based on the prevailing market conditions.
- The Bank will obtain the requisite approval of the Government of India and the Reserve Bank of India in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for increasing the paid up capital of the Bank. Further, Bank shall be in compliance with the other relevant guidelines /regulations of SEBI and Listing Agreement with Stock Exchanges.
- Regulation 41(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered with the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.
- The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.
- The Present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to create, offer, issue and allot equity shares at an appropriate time, mode, premium and other terms. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital position to support the growth of the Bank and help in achieving Minimum Public Shareholding (MPS) norms as specified by SEBI.
- The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank. For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence consent of shareholders is requested for the above proposal.
- The Bank or any of its directors or promoter is not a wilful defaulter or fugitive economic offender.
- None of the Directors or the Key Managerial Personnel or their relatives are interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

The Board of Directors recommends passing of the proposed Special Resolutions.

Item no.4 Appointment of Secretarial Auditor

This explanatory statement is provided in accordance with Regulation 36(5) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI Listing Regulations] .

Pursuant to Regulation 24A of the SEBI Listing Regulations, every listed entity is required to conduct a Secretarial Audit by a Secretarial Auditor who shall be Peer Reviewed Company Secretary and annex a Secretarial Audit Report to its annual report. Additionally, a listed entity must appoint a Secretarial Audit firm for a maximum of one term (in case

of individual)/ two terms (in case of firm) of five consecutive years, with the approval of its shareholders in its Annual General Meeting.

Accordingly, the Board of Directors of the Bank recommended the appointment of M/s A Saraswat & Associates, Practicing Company Secretaries (Unique Code Number - S2015WB298700) as the Secretarial Auditor of the Bank for a term of five consecutive years, commencing from the financial year 2025-26 to 2029-30. The appointment is subject to shareholders' approval at the 22nd Annual General Meeting.

Brief Profile of M/s A Saraswat & Associates, Practicing Company Secretaries

A. Saraswat & Associates is a peer-reviewed firm of Practicing Company Secretaries, led by CS Anuj Saraswat, a Fellow Member of the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), with over a decade of experience in corporate advisory and compliance.

The firm provides end-to-end services in Company Law, Secretarial Audits, Corporate Restructuring, Intellectual Property Rights, and allied legal domains. It caters to a diverse clientele of listed and unlisted companies, supported by a team of qualified professionals committed to excellence and integrity.

CS Anuj Saraswat, Founder and Principal of the firm, has been in full-time practice as a Company Secretary for the past ten years. He is a Law Graduate and holds a Master's degree in Business Policy & Corporate Governance. He also holds credentials as a GST Practitioner, Registered Trademark Agent, and is a qualified Independent Director.

Mr. Saraswat has held several leadership roles within ICSI, having served as the Chairman of the Hooghly Chapter in 2021, and currently serving as the Chairman of the Eastern India Regional Council (EIRC) of ICSI.

Other disclosures :

1	Name of the individual / Firm proposed to be appointed as the Secretarial Auditor?	A Saraswat & Associates, Sole proprietorship concern Proprietor - CS Anuj Saraswat
2	Whether the Board of Directors have recommended appointment of the individual / Firm as the Secretarial Auditor of the listed entity?	Yes
3	Website of the proposed Secretarial Auditor; Number of years of experience of the individual / Firm proposed to be appointed as Secretarial Auditor: For an individual As a Company Secretary As a Practising Company Secretary As a Secretarial Auditor	https://asaraswat.in/ 10 Years 10 Years 10 Years
4	Names of other listed entities (equity / debt) for which the individual / Firm is the Secretarial Auditor	Pushkar Banijya Ltd.
5	Details of orders passed against the proposed Secretarial Auditor by ICSI/SEBI/MCA/any other competent authority / Court, both in India or outside India, in past 5 years	No order passed against the proposed Secretarial Auditor by ICSI /SEBI /MCA/ any other competent authority/Court, both in India or outside India, in past 5 years
6	Whether proposed Secretarial Auditor has rendered any services as prohibited under SEBI guidelines directly or indirectly to the listed entity or its holding company or subsidiary or any associate? If yes, then provide details and actions, if any taken against the individual / Firm, and	No prohibited services provided by A Saraswat & Associates to UCO Bank.

7	<p>Fee related</p> <p>a) Proposed fees payable to the individual / Firm as Secretarial Auditor</p> <p>b) Total Fees paid to previous/outgoing auditor</p> <p>c) Rationale for material change in the audit fees proposed to be paid the proposed secretarial auditor as compared to the previous / outgoing auditor;</p> <p>d) Disclosure of % of non-audit fees, paid/payable to the proposed Secretarial Auditor or/and its associate concerns, over audit fees paid/payable to the said auditor</p> <p>e) Total remuneration/fees, etc. received by the proposed Secretarial Auditor from the Bank in the last financial year along with details.</p>	<p>Rs.55,000/- (plus GST)</p> <p>Rs.55,000/- (plus GST)</p> <p>There is no material change in the audit fee.</p> <p>Nil</p> <p>Nil</p>
8	<p>Past association (name and number of years to be disclosed) of the proposed Secretarial Auditor with:</p> <p>(i) Promoter / Promoter Group during the last 3 year</p> <p>(ii) Group companies (holding, subsidiary, associate, joint ventures) of the listed entity during the last 3 years.</p> <p>Provided that the details mentioned above shall be disclosed only if the past association in any of the 3 years has resulted in one of the following:</p> <p>For individual / sole proprietorship concern: Total income received by the individual / sole proprietorship concern from entities mentioned at (i) and (ii) above during that particular financial year exceeded 10% of the total annual income of the individual / proprietor for the immediate previous financial year of appointment / reappointment.</p>	<p>A Saraswat & Associates acted as the Secretarial Auditor of the Bank for the FY 2024-25 at a fee of Rs.55,000/- plus GST to conduct the Secretarial Audit and provide Annual Secretarial Compliance Report as per the format specified by the Board.</p> <p>Further, A Saraswat & Associates have not been associated with the Bank for any services.</p> <p>Bank has no holding, subsidiary, joint venture during the last 3 years.</p> <p>Bank had one sponsored Regional Rural Bank "Paschim Banga Gramin Bank (PBGB)" which got amalgamated w.e.f. May 1, 2025. M/s A Saraswat & Associates has no association with PBGB in any capacity during the last three years.</p>
9	<p>Terms of appointment as approved by the Board of Directors</p>	<p>The Board of Directors approved the appointment of M/s. A Saraswat & Associates, Practising Company Secretaries, as the Secretarial Auditor of the Bank for a period of five years, at a remuneration as may be determined by the Board from time to time.</p>
10	<p>Rationale of the Board of Directors for recommending the individual / Firm with past orders, if applicable, against them for appointment as Secretarial Auditor</p>	<p>The Board of Directors, after reviewing the qualifications, experience, and documents submitted by M/s. A Saraswat & Associates, found them to be eligible and suitably qualified for appointment as the Secretarial Auditors of the Bank in accordance with applicable laws and regulations. The Board was satisfied that there are no continuing disqualifications or restrictions that would affect the firm's eligibility or independence under the applicable provisions of the SEBI (LODR) Regulations, or relevant regulatory guidelines. Considering the firm's professional background and experience, the Board recommended their appointment for the proposed term.</p>

M/s. A Saraswat & Associates have given their consent to act as Secretarial Auditors of the Bank and confirmed that their aforesaid appointment (if made) would be within the prescribed limits under the applicable Act, Rules made thereunder and SEBI (LODR) Regulations. They have also confirmed that they are not disqualified to be appointed as Secretarial Auditors in terms of provisions of the applicable Act & Rules made thereunder and SEBI (LODR) Regulations.

None of the Directors/Key Managerial Personnel of the Bank / their relatives are, in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

The Board of Directors of the Bank recommends the resolution set out at Item No. 4 for approval of the shareholders as an Ordinary Resolution.

Agenda Item no.5

Appointment of Shri Ravi Kumar Agrawal as Part-time Non-Official Director on the Board of UCO Bank

Shri Ravi Kumar Agrawal was appointed as part-time Non-Official Director on the Board of UCO Bank by the Government of India vide its notification F.No.6/1(x)/2024-BO.I dated 11.04.2025 in exercise of the powers conferred under clause (h) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a term of one year from the date of notification i.e. 11.04.2025 or until further orders, whichever is earlier.

Brief Profile of Shri Ravi Kumar Agrawal

Shri Ravi Kumar Agrawal (aged 59) is a Chartered Accountant by profession. He is a partner in CA firm 'Agrawal and Bardiya' and is based in Raipur, Chhattisgarh. Shri Agrawal had been honorary member in the Zonal Advisory Board of Life Insurance Corporation of India (LIC) for 4 years. Shri Agrawal's educational qualifications includes B.Com. (Hons.) and LLB apart from being a Chartered Accountant. He has also been member of Fiscal Law Committee of the Institute of Chartered Accountants of India.

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- Brief Profile of Shri Ravi Kumar Agrawal is given above which highlights his expertise in Accounting, Audit, Taxation and Legal matters. Further, the skill/capabilities/expertise as required in the context of banking business was assessed by Government of India and based on which, appointment was made.
- There is no inter-se relationship between Directors.
- Directorship in other listed entities - Nil
- Name of listed entities from which Shri Ravi Kumar Agrawal has resigned in the past three years - None.
- Shareholding in UCO Bank - Nil

Pursuant to Regulation 25(2A) and proviso to 17(1C) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure requirements) Regulations, 2015, Bank shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of Independent Director on the Board of Directors is taken at the next general meeting.

To comply with above regulations, the Board of Directors of the Bank recommended that the proposal for appointment of Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director be placed before the shareholders' at this 22nd Annual General Meeting for seeking their approval by way of special resolution.

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives other than Shri Ravi Kumar Agrawal or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are interested or concerned in the said resolution.

Agenda Item no.6

Appointment of Shri Anjan Talukdar as Part-time Non-Official Director on the Board of UCO Bank

Shri Anjan Talukdar was appointed as part-time Non-Official Director on the Board of UCO Bank by the Government of India vide its notification F.No.6/1(x)/2024-BO.I dated 11.04.2025 in exercise of the powers conferred under clause (h) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a term of one year from the date of notification i.e. 11.04.2025 or until further orders, whichever is earlier.

Brief Profile of Shri Anjan Talukdar

Shri Anjan Talukdar (aged 58 years) has a working experience of over 30 years in various public and private sector organizations in diverse fields including legal, management and finance. He is currently a Director-cum-Company Secretary of Premier Cryogenics Ltd and is based in Guwahati, Assam. Shri Talukdar's educational qualifications include B.Com, FCS, LLB. He has also completed several Management Development, Legal and Governance programmes from prestigious institutions like CCGRT, Hyderabad, IIM, Ahmedabad and Henley Management College, UK. Among other professional activities, he was the former Chairman of the N.E. Chapter of ICSI, former member of the Committee on Banking and Insurance of the Federation of Industry & Commerce of N.E. Region, promoter director of a publication house, author and guest faculty on subjects relating to law, taxation and management.

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- Brief Profile of Shri Anjan Talukdar is given above which highlights his expertise in Accounting, Corporate Laws and Legal matters. Further, the skill/capabilities/expertise as required in the context of banking business was assessed by Government of India and based on which, appointment was made.
- There is no inter-se relationship between Directors.
- Directorship in other listed entities - Nil
- Name of listed entities from which Shri Anjan Talukdar has resigned in the past three years - None.
- Shareholding in UCO Bank - Nil

Pursuant to Regulation 25(2A) and proviso to 17(1C) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure requirements) Regulations, 2015, Bank shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of Independent Director on the Board of Directors is taken at the next general meeting.

To comply with above regulations, the Board of Directors of the Bank recommended that the proposal for appointment of Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director be placed before the shareholders' at this 22nd Annual General Meeting for seeking their approval by way of special resolution.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Anjan Talukdar or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are interested or concerned in the said resolution.

By order of the Board of Directors

sd/-

Place: Kolkata
Date: 20.05.2025

(Ashwani Kumar)
Managing Director &
Chief Executive Officer

GENERAL INSTRUCTIONS FOR ACCESSING AND PARTICIPATING IN THE ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM FACILITY AND VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS INCLUDING REMOTE E-VOTING

1. Regulatory Instructions on holding Annual General Meeting (AGM) through Video Conference

Pursuant to the General Circular No. 09/2024 dated 19.09.2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) (collectively referred to as "MCA Circulars") read with SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 03.10.2024, the AGM will be held through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM) without the physical presence of the Members at a common venue duly following guidelines issued by MCA and SEBI in conducting AGM of the Bank.

The deemed venue for the meeting shall be UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001.

2. Joining of AGM through VC

The facility for participation in the AGM through VC/OAVM, voting through remote e-voting and e-voting during the AGM, will be provided by M/s KFin Technologies Limited, Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Bank. M/s KFin Technologies Limited will also act as attendant enabler for AGM.

Shareholders may join the AGM through VC/OAVM facility by following the procedure mentioned in the Notice, which shall be kept open for the shareholders on 19th June 2025 from 10:45 a.m. i.e., 15 minutes before the time scheduled to start the AGM. The Window for joining the AGM through VC/OAVM facility may be closed 30 minutes after the scheduled start time.

The facility of participation at the Annual General Meeting through VC/OAVM will be made available for at least 1000 members on first come first served basis. This restriction will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the Annual General Meeting without restriction on account of first come first served basis.

3. Attendance

The members attending the Annual General Meeting through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum.

4. Appointment of Proxy and Authorised Representative

Since this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for the AGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the Annual General Meeting through VC and participate thereat and cast their votes through e-voting. In this connection, scanned copy of relevant Board Resolution is required to be sent along with attested signature of the Authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the scrutinizer by email to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@kfintech.com and hosgr.calcutta@ucobank.co.in, not less than four days before the date of the meeting on or before 5:00 PM of 12th June 2025

An employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation, 2003.

5. Record Date

Record Date for payment of dividend was Friday, 9th May 2025.

6. Payment of Dividend

The Board of Directors has recommended dividend of Rs.0.39 per equity share of Rs.10/- each for the financial year 2024-25.

Payment of dividend, if approved by the Shareholders in the Annual General Meeting, will be made to those shareholders whose names appear:

- a) as Beneficial Owners as at the close of business hours Friday, 9th May 2025, as per the record of NSDL/CDSL in respect of the shares held in electronic form and/or
- b) in the Register of shareholders as on Friday, 9th May 2025 after giving effect to the valid transmission requests received from the shareholders holding shares in physical form.

In terms of the SEBI directives to RTAs, Bank will not be sending dividend warrants to shareholders holding shares in Physical Form and whose bank account details are not updated. They are required to update their bank details immediately.

Dividend will be paid/distributed to the eligible shareholder by 18th July 2025.

7. Tax Deducted at Source (TDS) on Dividend

Shareholders may note that pursuant to the changes in the Income Tax Act, 1961 ('the Act') as amended by the Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of the shareholders and the Bank is required to deduct tax at source (TDS) at the time of making the payment of dividend to shareholders at the prescribed rates. The tax deduction / withholding tax rate would vary depending on the residential status of the shareholder and the exemptions as enumerated in the Act subject to fulfilling the documentary requirements.

Shareholders having total income below the taxable limit, are requested to submit Form 15G (applicable to an individual below the age of 60 years)/15H (applicable to an individual of the age of 60 years and above), to the Bank at e-mail ID hosgr.calcutta@ucobank.co.in or to Bank's RTA at e-mail ID einward.ris@kfintech.com for claiming exemption from TDS deduction

Kindly note that no communication/documents on the tax determination / deduction shall be considered if the same is not received by the Bank on or before the close of Business Hours i.e. 6.00 pm on 30st May 2025.

8. Instructions for shareholders for attending AGM through Video conference

- Member will be provided with a facility to attend AGM through Video conferencing platform provided by M/s. KFin Technologies Limited. Members may access the same at <https://emeetings.kfintech.com> and click on the "Video Conference" and access the shareholders/members login by using the remote e-voting credentials.
- The link for AGM will be available in shareholder/member login by using the remote e-voting credentials. The link for AGM will be available in shareholder/members login where the EVENT and UCO Bank can be selected.
- Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.
- Members are encouraged to join the Meeting through Laptops with Google Chrome for better experience.
- Further, Members will be required to use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

9. Facility for Speaker registration & Recording of questions prior to AGM:

- Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker and may log into <https://emeetings.kfintech.com> and click on "post your questions" to post their queries/views/questions in the window provided by mentioning the name, demat account number/folio number, email id, mobile number. Please note that members questions will be answered only, the shareholder continue to hold the shares as per the benpos as on cut off date. The speaker registration and posting of questions shall commence on 15th June, 2025 (10.00 AM) and closed on 17th June, 2025 (5.00 PM) .
- Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions. The same will be replied by the Bank suitably.
- During AGM, the members who have already registered will be allowed to speak in the chronological order and then the option will be given for those who registered during the AGM.
- Speaker Registration during Question & Answers on the day of AGM may be dispensed with due to limitations of transmission and technical coordination.

10. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) read with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, (as amended), and the MCA Circulars, the Bank is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the Annual General Meeting.

The members who are holding shares as on 12th June, 2025 being the cut off date fixed for determining voting rights of members, entitled to participate in the remote e-voting process, through the e-voting platform provided by KFin Technologies Limited or to vote at the AGM. Person who is not a member as on cut off date should treat this notice for information purpose only.

In terms of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003, in case of joint holders, the Member whose name appears first as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote at the Annual General Meeting provided the votes are not already cast through remote e-voting.

11. INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING THROUGH DEPOSITORIES (NSDL/CDSL) FOR INDIVIDUAL SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN DEMAT FORM

In terms of SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD/ CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, individual shareholders holding securities in Demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Pursuant to abovesaid SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Individual shareholders holding securities in Demat mode is given below:

NSDL	CDSL
1. User already registered for IDeAS facility: I. URL: https://eservices.nsdl.com II. Click on the "Beneficial Owner" icon under 'IDeAS' section. III. On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on "Access to e-Voting" IV. Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.	1. Existing user who have opted for Easi / Easiest I. https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or URL www.cdslindia.com URL: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or URL: www.cdslindia.com II. Click on New System Myeasi III. Login with user id and password. IV. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. V. Click on e-Voting service provider name to cast your vote.
2. User not registered for IDeAS e-Services I. To register click on link : https://eservices.nsdl.com II. Select "Register Online for IDeAS" III. Proceed with completing the required fields. Alternatively, I. To register click on link : https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp II. Proceed with completing the required fields.	2. User not registered for Easi/Easiest I. Option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration II. Proceed with completing the required fields.
3. By visiting the e-Voting website of NSDL I. URL: https://www.evoting.nsdl.com/ II. Click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. III. Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. IV. Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. V. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.	3. By visiting the e-Voting website of CDSL I. URL: www.cdslindia.com II. Provide demat Account Number and PAN No. III. System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. IV. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the e- Voting is in progress.

Note: In case of NSDL- For OTP-based login, shareholders can visit <https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp>.

Shareholders will need to enter their 8-digit DP ID, 8-digit Client ID, PAN, and the verification code, then click on 'Generate OTP'. Enter the OTP received on the registered email ID/mobile number and click on 'Login'. Upon successful authentication, shareholders will be redirected to the NSDL Depository site where the e-Voting page will be visible. Click on 'UCOBANK' or the name of the e-Voting service provider, and you will be redirected to the e-Voting service provider's website to cast your vote during the remote e-Voting period or to join the virtual meeting and vote during the meeting.

12. INSTRUCTIONS FOR REMOTE E-VOTING THROUGH DEPOSITORY PARTICIPANT FOR INDIVIDUAL SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN DEMAT FORM

Individual Member can also login using the login credentials of his/her demat account through his/her Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, the member will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option the member will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication. Click on company name or e-Voting service provider name and the member will be redirected to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Members facing any technical issue - NSDL	Members facing any technical issue - CDSL
Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 or 22-23058542-43.

13. INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING FOR SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN PHYSICAL FORM AND SHAREHOLDERS OTHER THAN INDIVIDUAL SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN DEMAT FORM

The details of the process and manner for remote e-voting are given below. The initial pass word is provided in the body of the e-mail.

- Log-in-to for Remote e-voting portal at <https://evoting.kfintech.com>
- Shareholders of the Bank holding shares as on the cut off date i.e. 12th June, 2025 may cast their vote electronically.
- Enter the login credentials (i.e., user id and password mentioned in the notice of AGM). Your Folio No./DP ID & Client ID will be your user ID.
- After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (e-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- You need to login again with the new credentials.
- On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., UCO Bank. On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.
- Cast your votes by selecting an appropriate option and click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed.
- Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (PDF/JPG format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory(ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through email at scrutinizer@snaco.net and may also upload the same in the e-voting module in their login. The scanned image of the above documents should be in the naming format 'UCO BANK_EVENT No.'

- x. Those holding shares as on the Cut-off Date i.e. 12th June, 2025 can cast their vote in favour of or against the resolution.
- xi. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted.
- xii. Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each folios/demat account.
- xiii. Once the vote on the resolution is cast by the shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
- xiv. The Portal will be open for voting from: 9 a.m. on 16th June, 2025 to 5 p.m. on 18th June, 2025.
- xv. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of <https://evoting.kfintech.com> or contact M/s KFin Technologies Ltd. on 1800 345 4001 (Toll free)

14. INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR E-VOTING DURING THE AGM:

The e-voting "Thumb Sign" on the left hand corner of the video screen shall be activated upon instructions of the chairman during the AGM proceedings. Shareholders shall click on the same to take them to "instapoll" page.

The members to click on the "Instapoll" icon to reach the resolution page and follow the instructions to vote on the resolution.

Only those shareholders, who are present in the AGM and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the AGM.

15. VOTING RESULTS:

The Bank has appointed M/s. S N Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, as Scrutinizer who will oversee the conduct of the remote e-voting and e-voting at the AGM in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the Annual General Meeting, first count the votes cast during the Annual General Meeting, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and make, not later than 48 hours of conclusion of the Annual General Meeting, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same.

The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.ucobank.com under investor section immediately. The Bank shall simultaneously forward the results to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Bank are listed.

16. Unpaid/Unclaimed Dividend

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970 any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C(1)/125 of the Companies Act 1956/2013.

In terms of above guidelines, Bank had transferred all the unpaid/unclaimed dividend of upto the Financial year 2014-15 to "Investor Education and Protection Fund". Bank has not declared dividend from the financial year 2014-15 to 2022-23.

17. Mandatory Dematerialisation For Transfer of Shares

Pursuant to amendment to Regulation 40 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, vide gazette notification dated June 8, 2018 read with notification dated 01.04.2019, all the transfer of shares shall be mandatorily carried out in dematerialised form only w.e.f. April 1st, 2019

Accordingly, with effect from 01.04.2019, no shares can be transferred in physical form. However, above restriction do not apply for the requests for transmission or transposition of securities.

In view of the aforesaid amendment, the shareholders of the Bank, who are holding physical shares of UCO Bank, are once again requested to get their shares dematerialized. Shareholders can open a demat account in either of the two Depositories, viz. National Securities Depository Ltd., or Central Depository Services India Ltd through any of the depository participant.

18. UPDATION/CHANGE IN ADDRESS/BANK MANDATE/OTHER DETAILS

i. Holding of shares in Physical Form

SEBI, vide its circular dated November 3, 2021 (subsequently amended by circulars dated December 14, 2021, March 16, 2023 and November 17, 2023) mandated that the security holders (holding securities in physical form), whose folio(s) are not updated with the KYC details (any of the details viz., PAN; Choice of Nomination; Contact Details; Mobile Number and Bank Account Details and signature, if any) shall be eligible for any payment including dividend, only through electronic mode with effect from 1st April, 2024. SEBI has come out with FAQ with respect to Investor Service Requests processed by Registrar to an Issue & Share Transfer Agents (RTAs) which can be accessed through this link: https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/jan-2024/1704433843359.pdf

In view of the above SEBI circular , the shareholders holding physical securities are requested to furnish valid PAN, e-mail address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA.

S No.	Form	Purpose
1.	Form ISR-1	To register/update PAN, KYC details
2.	Form ISR-2	To Confirm Signature of securities holder by the Banker
3.	Form ISR-3	Declaration Form for opting-out of Nomination
4.	Form SH-13	Nomination Form

All the above forms are available on the website of the Bank www.ucobank.com and RTA website <https://www.kfintech.com>. Shareholders are requested to submit duly filled in forms to the address mentioned below:

M/s. KFin Technologies Limited

(Unit UCO Bank)

Selenium Tower B, Plot No. 31& 32

Gachibowli, Financial District,

Nanakramguda, Hyderabad - 500032

Toll Free: 1800-3094-001

e-mail: einward.ris@kfintech.com

Once the mandatory details (viz. PAN; Choice of Nomination; Contact Details; Mobile Number and Bank Account Details and signature) are updated, the payment of dividend, pending if any, shall be released to the bank account of the shareholder through electronic mode.

ii. Holding of shares in Electronic Form

Beneficial owners holding shares in electronic form , are requested to update the address, Bank details i.e. Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate, e-mail addresses etc. with their Depository Participant.

Those shareholders holding shares in electronic form whose dividend could not be paid due to non-updation/non-availability of bank account details or incorrect bank account details in the records of Depository Participant(DP), their dividend will be kept in the unpaid dividend account of the Bank. Once the bank account details are updated in the records of DP, they may request the Bank/RTA of the Bank for the release of payment of dividend.

19. COMMUNICATION WITH SHARE TRANSFER AGENTS

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address or any other particulars through their Depository Participant in case of DEMAT shares and directly in case of physical shares to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address :

M/s KFin Technologies Limited,
Unit : UCO BANK,
Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032
Toll Free No.1800-3094-001

For on line queries/grievances, shareholders of the Bank may login on the website of M/s KFinTechnologies Limited i.e., www.kfintech.com and click on Investor Services page to register their queries/grievances, if any.

20. SHARE SECTION & INVESTORS GRIEVANCE CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up Investors Grievance Cell at its Head Office, Kolkata, Shareholders and investor may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

Shri Vikash Gupta, Company Secretary, Share Section & Investors Grievance Cell, UCO Bank, Head Office : 2, India Exchange Place (3rd Floor), Kolkata - 700 001, Telephone : 033-44557227

By order of the Board of Directors

sd/-

(Ashwani Kumar)
Managing Director &
Chief Executive Officer

Place: Kolkata
Date: 20.05.2025